

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/पीएसपी/बी/भौतिक सत्यापन/19671/2017-18/282


दिनांक:-14.02.2019

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय)
समस्त जिले।

आरटीई भौतिक सत्यापन टाईम फ्रेम


शैक्षिक सत्र 2018-19 में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन संबंधी कार्य हेतु टाईम-फ्रेम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर की नोटशीट द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

क्र.स.	गतिविधि / कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
01.	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	18.02.2019 तक
02.	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	19.02.2019 से 21.02.2019 तक
03.	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	19.02.2019 से 22.02.2019 तक
04.	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना।	19.02.2019 से 25.02.2019 तक


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
02. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावे।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर